

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/3441 /

जबलपुर, दिनांक 05/08/2020
09

श्री आदित्य वैभव झा, संविदा नियुक्त लॉ क्लर्क कम-रिसर्च असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "एलएल.एम एक वर्षीय कोर्स हेतु फॉर्म भरने एवं परीक्षा सत्र-2020-2021" में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(राजेश कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/3442 /
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 05/08/2020
09

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(एम) (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. रजिस्ट्रार (डी.ई) के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(जुडिशियल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री आदित्य वैभव झा, संविदा नियुक्त लॉ क्लर्क कम-रिसर्च असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Per